२५.3.25

पत्रावली पेश हुई निर्णय प्रकरण के
निरमायर जाकर रेकुल न्यायालय में
आया गया निर्णय की प्रति के
तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर
बाद तकमील अमलदरामद के कम हो बाद
पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर
पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03 / 03	17.01.2020	136 LR Act	२५.03.2025

उनवान

1:–दीपक वैजप्रो प्रा० लिए पुराना औधागिक क्षेत्र, इंटाराणा रोड, अलवर जरिये मैनेजिंग डाईरेक्टर सौरभ डाटा, जाति महाजन, निवासी भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर

–प्रार्थी

बनाम

1:–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमीधारक) अलवर

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दीपक वैजप्रो प्रा० लि० पुराना औधागिक क्षेत्र, ईटाराणा रोड, अलवर (राज०) एक पंजिकृत प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है जो राजस्थान कम्पनीज एक्ट 1956 के प्रावधानो के तहत पंजिकृत है। श्री बाबू लाल डाटा कम्पनी के डाईरेक्टर थे जिनके द्वारा उक्त कम्पनी से इस्तीफा दिया जा चुका है। वर्तमान में प्रार्थी सौरभ डाटा कम्पनी के मैनेजिंग डाईरेक्टर है जिन्हें कम्पनी की ओर से मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। दीपक वैजप्रो प्रा० लि० के बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर द्वारा पारित रेज्यूलेशन की प्रतिलिपी दिनांक 20.08.2012 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 27 एयर चाही तृतीय 1393/2403 रकबा 6 एयर व 1394/2446 रकबा 10 एयर, बारानी प्रथम 1395/2443 रकवा 17 एयर चाही तृतीय कुल किता 4 रकबा 60 एयर ग्राम चिकानी तहसील अलवर स्थित है उपरोक्त आराजी प्रार्थी दीपक वैजप्रो द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25.06.2003 के द्वारा पूर्व खातेदारान से क्रय की गई थी जिसका नियमानुसार आपसी सहमति से विभाजन किया गया तत्पश्चात प्रार्थी अपने हकूको के आधार पर उपरोक्त आराजी पर बतौर खातेदार काश्त करता चला आ रहा है रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25.06.2003 में उपरोक्त आराजी जब प्रार्थी कम्पनी दीपक वैजप्रो प्रा० लि० द्वारा खरीद की गई थी तो उस समय विक्रय पत्र तत्कालीन डाईरेक्टर बाबू लाल डाटा के जरिये निष्पादित किया गया था। विकय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में आराजी के खातेदारी का जो इन्द्राज किया गया वह सहबन से दीपक वैजप्रो प्रा० लि० के साथ–साथ जरिये डाईरेक्टर बाबू लाल डाटा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

भी कर दिया गया। जबकि वास्तव में विवादित आराजी दीपक वैजप्रो प्रा० लि० की खातेदारी की आराजी है तथा दीपक वैजप्रो प्रा० लि० एक विधिक व्यक्ति है यह कि डाईरेक्टर श्री बाबूलाल डाटा कम्पनी से इस्तीफा दे चुके है उनके स्थान पर वर्तमान में मैनेजिंग डाईरेक्टर श्री सौरभ डाटा है आराजी जो दीपक वैजप्रो प्रा० लि० की खातेदारी की आराजी है राजस्व रेकार्ड में उसे जरिये बाबूलाल डाटा दर्ज किया हुआ है उसे नियमानुसार हटाया गया जाना विधि सम्मत है राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक 5(8) राज0–6/97/6 दिनांक 09.06.2009 में भी राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि यदि अभिधृति धारा यदि कोई कम्पनी है तो कम्पनी के नाम के साथ साथ जरिये निदेशक लिखा जाना अभिलेख नियमों का उल्लंघन है उक्त त्रुटि पूर्ण प्रविष्टियो को ठीक करने के लिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रावधान है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आराजी के इन्द्राज दुरूस्त किये जावे तथा दीपक वैजप्रो प्रा० लि० के आगे दर्ज जरिये बाबूलाल डाटा शब्द को हटाये जाने के आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट उप तहसीलदार बहादरपुर तहसील अलवर के पत्रॅाक 2037 दिनॅाक 17–6–2022 के अनुसार मुताबिक जमाबन्दी ग्राम चिकानी के खाता स0 166, 167 में दीपक वैजप्रो प्रा0 लि0 पंजीकृत फार्मा ईटाराना रोड पुराना ओधोगिक क्षेत्र अलवर मे जर्ये डायरेक्टर बाबूलाल डाटा पुत्र रामनिवास डाटा हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा. अलवर खातेदार खसरा नम्बर 1394/2446 रकबा 0.10, 1395/2443 रकबा 0.17 किता 2 रकबा 0.27 है0 व आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.27, 1393/2403 रकबा 0.06, किता 2 रकबा 0.33 है0 दर्ज रिकार्ड है मुताबिक नामान्तकरण सख्या 412 से जर्ये विकय पत्र द्वारा दीपक वैजप्रो प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय ईटाराणा रोड, पुराना औद्योगिक क्षेत्र अलवर जर्ये डायरेक्टर बाबूलाल डाटा पुत्र श्रीरामनिवास डाटा जाति महाजन नि. अलवर के नाम नामाकरण दर्ज किया गया है

उप तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त उनवानी प्रकरण मे जर्ये रजिस्र्टड विकय पत्र द्वारा दीपक वैजप्रो प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय ईटाराणा रोड, पुराना औद्योगिक क्षेत्र अलवर जर्ये डायरेक्टर बाबूलाल डाटा पुत्र श्रीरामनिवास डाटा जाति महाजन नि. अलवर ने वाके ग्राम चिकानी तहसील अलवर के खाता स0 166, 167 मे खसरा नम्बर 1394/2446 रकबा 0.10, 1395/2443 रकबा 0.17 किता 2 रकबा 0.27 है0 व आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.27, 1393/2403 रकबा 0.06, किता 2 रकबा 0.33 है0 खरीद किया है जिसका नामान्तकरण स0 412 स्वीकृत किया गया है उक्त अकन राजस्व रिकार्ड का अद्यतन (अमल) करते समय उपरोक्त त्रुटि कारित हुई है जो निरन्तर चली आ रही है।

Correction of errors के सम्बन्ध में निम्नांकित न्यायिक विनिश्चिय हमारा मार्गदर्शन करते है :–

न्यायिक विनिश्चय आर.आर.टी.(2)783 बोगड सिंह बनाम स्टेट ऑफ राज. में यह अभिर्निधारित किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। कि भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है या सहवन से रह गया है तो उसको दुरूस्त किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

आर.आर.टी. 2018(2) 1514, आर.आर.टी. 2018(2) 1030 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि भू–अभिलेख अधिकारी धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत भू–प्रबन्ध के दौरान् परिवर्तित किये गये इन्द्राज/त्रुटि को ठीक कर सकता है।

अतः उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों की रोशनी में इस प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में बयनामे मे की गई त्रुटि को दुरूस्त श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमॉकःक–5(8)राज–6/97/6 दिनॉक 09–6–2009 किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं उप तहसीलदार बहादरपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट से भी होता है अतः श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमॉकःक–5(8)राज–6/97/6 दिनॉक 09–6–2009 के आधार पर पूर्णत चस्पा होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम चिकानी तहसील अलवर के खाता स0 166, 167 मे खसरा नम्बर 1394/2446 रकबा 0.10, 1395/2443 रकबा 0.17 किता 2 रकबा 0.27 है0 व आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.27, 1393/2403 रकबा 0.06, किता 2 रकबा 0.33 है0 मे अंकित **''जर्ये डायरेक्टर बाबूलाल डाटा पुत्र श्रीरामनिवास डाटा जाति महाजन नि. अलवर''** को कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड जाकर दुरूस्त किया जावे शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 24-3-25 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर